

श्री गण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजसमन्द

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टावारी पद्ममता
य भू.अ.नि. पद्ममता की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामलाल / नायब
तहसीलदार विशुभ की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीनिगाणा तहसील रेलमारा त
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 84 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्रीनिगाणा	84	लै. हरलाल पुत्र रामलाल जाति - लौला	लै. हरलाल पुत्र रामलाल जाति - रेगार

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 349

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार रामलाल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री लै. हरलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। लै. हरलाल - रेगार

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,